सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2016 को अधिसूचित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, 2016 (इसके बाद सी0 एण्ड डी0 नियम 2016 के रुप में संदर्भित किया जायेगा) के नियम 6 के उप–नियम (1) के अंतर्गत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नौएडा को प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, नियम 4 (थोक अपशिष्ट उत्पादकों के लिए लागू) और नियम 5 (सेवा प्रदाताओं व उनके ठेकेदारों के लिए लागू) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक सी0 एण्ड डी0 नियम 2016 के प्रावधानों एवं इसके बाद जारी किये गए निर्देशों का अनुपालन करेगा:–

क. सुनिश्चित करें कि उत्पन्न किये गए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण एवं भंडारण समय से करें।

ख. सुनिश्चित करें कि पृथक्कृत किये गए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट या एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाए एवं परियोजना परिसर में अलए से संगृहीत किया जाए।

ग. यह सुनिश्चित करें कि थोक अपशिष्ट उत्पादक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को संग्रहकेन्द्रों तक अपने खर्च पर परिवहन करें तथा पृथ्क्करण करें (जैसा कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए)।

घ. सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता द्वारा नौएडा प्राधिकरण को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उप–नियम 4 और 5 के तहत प्रत्येक प्रकार के अलग किए गए अपशिष्ट के परिवहन हेतु रुपये 495/– प्रतिटन का भुगतान करना अनिवार्य है।
सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार बल्क सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट उत्पादक की पहचान उन लोगों के रुप में की जा सकती है, जो एक दिन में 20 टन या एक महीने में 300 अन प्रति प्रोजेक्ट सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

ड. सुनिश्चित करें कि नौएडा क्षेत्र के निवासी उपयोगकर्ता जो 20 टन प्रतिदिन से कम सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, नौएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को जमा करें। वे सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट को हटाने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने हेतु अपना अनुरोध नौएडा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एजेंसी को भी प्रस्तुत कर सूचित कर सकते हैं।

च. बल्क अपशिष्ट उत्पादक/सेवा प्रदाता इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर नौएडा प्राधिकरण को समस्त जारी एवं कियान्वित परियोजनाओं की योजना सी0 एण्ड डी0 अपशिष्ट के संग्रहण एवं पृथक्करण के प्रावधानों को दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे।

सभी थोक अपशिष्ट उत्पादक/सेवा प्रदाता इस बात का संज्ञान लें कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों 2016 के तहत जारी किए इन निर्देशों की अनुपालन में विफलता या उल्लंघन प्रर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 की उप–धारा (1) के तहत दंडनीय होगा।

उक्त अधिसूचना की धारा 3 (ए) के अनुसार 'अधिनियम' का अर्थ है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, चूँकि अधिसूचना उक्त अधिनियम को संदर्भित करती है, इसलिए कानून के तहत कोई विशिष्ट जुर्माना नहीं है, इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दिया गया दंड लागू होगा। जिसमें निम्नलिखित शामिल है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत उल्लंघन के लिए दंड अधिनियम एवं नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानः

1. यदि विफलता या उल्लंघन, उप–धारा (1) में संदर्भित सजा की तारीख से एक साल से अधिक तक जारी रहता है, तो अपराधी को ऐसे अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ सकती है।

इस कम में महा–प्रबंधक सिविल, योजना विभाग, जन–स्वास्थ्य विभाग, जल एवं सीवर विभाग, उद्यान विभाग आदि को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश में निहित नियमों को तत्काल प्रभाव से नौएडा क्षेत्र का समस्त थोक अपशिष्ट उत्पादकों/सेवा प्रदाताओं के संज्ञान में लाने एवं उक्त के पालन की कार्यवाही सुनिश्चिन करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा